न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 48/2019
आरसीएमएस नम्बर– 2019/00117

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
किरण कागट, सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली		1 नेन कमलेश व्यास पुत्र शामचन्द्र व्यास जाति ब्राह्मण निवासी चण्डावल नगर, तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नेन कमलेश अप्रार्थी संख्या 1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक 30/09/19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 02/1972–73 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (5) दिनांक 30.04.1972 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 02.04.1972 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में सरपंच हैं। अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि है, जिसका व्यक्ति विशेष के नाम पट्टा जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। विवादित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का किसी भी रूप में कब्जा नहीं हैं, गलत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियम 1961 के किसी भी प्रावधान की पालना नहीं की गई हैं, यहां तक कि मिसल भी कायम नहीं की गई। समस्त प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। यदि निगरानी स्वीकार की जाती है, जो अप्रार्थी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हैं।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जाहिर किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसके सम्बन्ध में पारित आज्ञा तथा अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे के सम्बन्ध में कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी द्वारा भी निगरानी के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त कराने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। चूंकि जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं तथा अप्रार्थी की भी स्वीकारोक्ति हैं, जो प्रकरण में गाम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित बनाता हैं। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 02/1972–73 में पारित प्रस्ताव संख्या 05 (5) दिनांक 30.04.1972 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 02.04.1972 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 30/09/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली